

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
26.06.2019 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 852 का उत्तर

समेकित सुरक्षा प्रणाली

852. श्री राहुल रमेश शेवले:  
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में आज की तिथि के अनुसार संवेदनशील रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे स्टेशनों पर यात्रियों की अपर्याप्त सुरक्षा संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या सरकार ने यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे स्टेशनों पर उन्नत समेकित सुरक्षा प्रणाली (आई.एस.एस.) अधिष्ठापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) एक वितरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

समेकित सुरक्षा प्रणाली के संबंध में 26.06.2019 के लोक सभा में श्री राहुल रमेश शेवले और श्री भर्तृहरि महताब के अतारांकित प्रश्न संख्या 852 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): वर्तमान में 202 रेलवे स्टेशनों को संवेदनशील स्टेशनों के रूप में चिह्नित किया गया है।

अन्य रेलवे स्टेशनों में से संवेदनशील स्टेशनों को, धमकी मिलने की संभावना, सामरिक महत्व, स्टेशन पर होने वाली भीड़ आदि जैसे कारकों के आधार पर चिह्नित किया जाता है।

(ख): वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 (मई तक) में ऐसे स्टेशनों पर अपर्याप्त सुरक्षा की क्रमशः 43, 37, 32 और 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों की प्राप्ति होने पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के समन्वय से त्वरित कार्रवाई की गई थी।

(ग) और (घ): रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है, इसलिए रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना और रेलपथों, सुरंगों और पुलों की सुरक्षा, राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेल पुलिस (रारेपु) के जरिए करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब) यात्रियों और यात्री क्षेत्र की बेहतर रक्षा और सुरक्षा तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

रेलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए सभी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में संबंधित राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक / आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है। अपराध की संभावना वाली गाड़ियों, स्टेशनों और खंडों की पहचान करने और राजकीय रेलवे पुलिस के साथ समन्वय करके इन गाड़ियों/ स्टेशनों और खंडों में यात्रियों के साथ अपराध का पता लगाने के लिए अपराध तथा अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि का नियमित विश्लेषण किया जाता है।

रेलों द्वारा सुरक्षा के सुदृढीकरण और अपग्रेडेशन की प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। रेलवे स्टेशनों पर समग्र सुरक्षा के सुदृढीकरण के लिए सुरक्षा उपाय किए जाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण, प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की सहायता से निगरानी, सुरक्षा हैल्पलाइन नंबर 182 का परिचालन और अपग्रेडेशन आदि, संवेदनशील खंडों में गाड़ियों का मार्गरक्षण, महिला सवारी डिब्बों में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, रेलवे स्टेशन और गाड़ियों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान शामिल हैं।

इसके अलावा, संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दृष्टि से 202 चिह्नित स्टेशनों के लिए एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) की संस्थापना की स्वीकृति दी गई है जिसमें क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी प्रणाली, पहुंच नियंत्रण, निजी एवं सामान की जांच प्रणाली एवं बम का पता लगाने वाली प्रणाली शामिल हैं। आईएसएस के अंतर्गत 128 चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आईएसएस के अंतर्गत 132 बैगेज स्कैनरों, 4780 हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टरों, 35 वाहन जांच प्रणाली(यूवीएसएस) और 86 बम का पता लगाने वाली मर्दे आईएसएस के तहत मुहैया कराई गई हैं।

\*\*\*\*\*